आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(उपार्जित अवकाश)अकाद/आकाशि/19/286 दिनांकः 30अप्रेल, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय
राजस्थान।

विषयः नव चयनित सहायक आचार्यो (परिवीक्षाधीन) को ग्रीष्मावकाश में महाविद्यालय में आवश्यकता के अनुसार रोके जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा ग्रीष्मावकाश के दौरान विश्वविद्यालय परीक्षायें, प्रतियोगी परीक्षायें, वार्षिक कार्य योजना तथा ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण एवं समयबद्व कार्यक्रम सम्पादित कराने हेतु महाविद्यालयों में कार्यरत परिवीक्षाधीन सहायक आचार्यो की सेवायें ली जाने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। इस अवधि में इन्हें उपार्जित अवकाश (P.L.) की देयता के संबंध में मार्ग–दर्शन चाहा है।

राजस्थान सेवा नियमों की सामान्य शर्तों के अनुसार जन हित में राजकीय कार्य सम्पादन हेतु राज्य कार्मिकों को कभी भी बुलाया जा सकता है। विभागीय नियमों तथा प्रावधानों के अनुसार यदि कोई परिलाभ अनुज्ञेय है तो वे दिये जायेंगे परन्तु यदि नियमानुसार देय नहीं है तो भी राजकार्य की आवश्यकता ही प्राथमिकता पर रहेंगी। नियमों में इन्हें उपार्जित अवकाश (P.L.) देने का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः उक्त परिस्थितियों में ग्रीष्मावकाश अवधि में परिवीक्षाधीन सहायक आचार्यो की सेवायें यथोचित स्वविवेक से रोटेशन आधार पर न्यायपूर्ण तरीके से लेते हुये राजकार्य यथा समय पूर्ण करायें जावे। परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण होना तभी माना जाता है जब पदस्थापन कर्त्तव्य यथा समय पूर्ण किये जावें।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार बोरड़) 30/4/2019
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव,उच्च शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(उपार्जित अवकाश)अकाद/आकाशि/19/286 दिनांकः 30अप्रेल, 2019

प्रतिलिपिः बेवसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया पत्र.को बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

30/4/2019
(डॉ.आर.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

Scanned by CamScanner